14

प्राथमिक स्तर के प्रभावी अधिगम में अभिभावकों एवं विद्यालय की सहभागिता

अशोक कुमार*
ज्ञानेंद्र कुमार**

बच्चे किसी भी परिवार, समाज एवं राष्ट्र की एक अनमोल धरोहर हैं क्योंकि बच्चे ही समाज या राष्ट्र का भविष्य होते हैं। कोठारी कमीशन (1964–66) ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके यहाँ संचालित हो रहे, कक्षा कक्ष से होता है। परिणामस्वरूप एक समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चे का उचित दिशा में विकास करना परिवार, विद्यालय, समाज एवं राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस प्रकार ये सभी हितधारक बच्चे के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर इनमें से कोई भी हितधारक अपने उत्तरदायित्व का उचित प्रकार से निर्वहन में असफल या अक्षम हो जाता है, तो कहीं न कहीं बच्चे के विकास में रुकावटें आती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश या राष्ट्र का विकास भी बाधित होता है। अत: इन सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि ये बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ जिसका प्रारंभ प्राथमिक स्तर से ही होता है। इस लेख में बच्चे एवं राष्ट्र के विकास में अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यालय किस प्रकार अपनी सक्रिय और सहभागिता प्रदर्शित सकते हैं पर सविस्तार चर्चा की जाएगी।

बाल्यकाल में बच्चे बड़ी तीव्रता से सीखते एवं समझते हैं अर्थात यह समय अधिगम का एक महत्वपूर्ण काल होता है। अगर इस समय बच्चे को अधिगम विकसित करने में यदि उसके अभिभावकों व अध्यापकों का सहयोग मिल जाता है तो बच्चे के सीखने की गति सहज और सरल हो जाती है। यह सहयोग जितना दृढ़ होगा, अधिगम भी उतना ही तीव्र एवं दृढ़ होता जाता है। बाल्यकाल बच्चे के 'समाजीकरण' का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में जहाँ एक ओर वह परिवार के सदस्यों के साथ समायोजित होना सीख रहा होता है, वहीं दूसरी ओर वह घर के बाहर अर्थात आस-पड़ोस में भी सुसमयोजित होने का भरसक प्रयास कर रहा होता है। यदि इस समय उसे अभिभावकों एवं शिक्षकों का सहयोग मिल जाता है तो उसका विकास उचित प्रकार से होता है। अभिभावकों के विद्यालीय गतिविधियों में सहभाग

* *प्रवक्ता*, (बी.एड.), एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली 110024
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007

© NCERT not to be republished

के संबंध में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में कहा गया है कि "गृहकार्य ऐसा न हो कि अभिभावक स्कूल के काम का दोहराव ही करवाते रहें। इसमें अलग तरह की गतिविधियाँ बच्चों के करने के लिए हों, जो वे स्वयं कर पाएँ या अपने अभिभावकों की मदद से कर पाएँ। इससे अभिभावकों को यह बेहतर रूप से समझने का मौका मिलेगा कि उनका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है और बच्चों को खोजबीन करने में तथा स्कूल के बाहर की दुनिया को सीखने का स्रोत मानने में शुरुआती प्रोत्साहन मिलेगा।" बाल्यकाल में बच्चे की अनेक जिज्ञासाएँ होती हैं, जिसको पूर्ण करने में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, यही समय औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के प्राथमिक स्तर का होता है। परिणामस्वरूप बच्चे के सामाजीकरण एवं ज्ञान प्राप्ति की सभी समस्याएँ, शिक्षा के प्राथमिक स्तर से जुड़ी होती हैं। बाल्यकाल की सहज जिज्ञासाओं की पूर्ति के अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस स्तर पर बच्चों का मानसिक विकास लगभग 90 प्रतिशत तक हो जाता है। इसलिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर में, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में अधिक तीव्रता होती है। साथ ही यह बच्चों के जीवन का वह समय है जिसमें बच्चे अपनी बहुत-सी जिज्ञासाओं को शांत करने की हर संभव चेष्टा करता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में यदि अध्यापकों के साथ-साथ अभिभावकों का बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सहयोग मिलता है, तो यह समय बच्चे के सीखने का एक स्वर्णकाल बन जाता है। बच्चे अपनी दिनचर्या के कुछ घंटों को छोड़कर, सारा समय अपने घर या परिवार में ही व्यतीत करते हैं इसलिए बच्चे के सर्वांगीण (शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक इत्यादि) विकास में अभिभावकों की हिस्सेदारी काफ़ी अहम हो जाती है।

प्राथमिक स्तर पर प्रभावी अधिगम में अभिभावकों की सहभागिता

अभिभावकों की बच्चे के अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका को निम्न बिंदुओं के आधार पर सुस्पष्ट किया जा सकता है।

बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन करना

बाल्यकाल में बच्चा काफ़ी समय अपने घर या परिवार में व्यतीत करता है। वह अपने माता-पिता के संपर्क में अधिक रहता है, जिससे माता-पिता उसके के व्यवहार (भावात्मक, क्रियात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्षों) का अवलोकन करके, इसमें अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। अभिभावक या माता-पिता ही बच्चे के 'सामाजीकरण' के सर्वप्रथम शिक्षक होते हैं। 'समाजीकरण' बच्चे का वह व्यवहार होता है जो उसे परिवार, समाज या राष्ट्र में सुसमायोजित करने में सहायक होता है। इसके साथ ही अभिभावक बच्चे के सर्वप्रथम शिक्षक भी होते हैं क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार से ही अनौपचारिक ढंग से शिक्षा ग्रहण करता है। उदाहरणस्वरूप बच्चे प्रारंभ में अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ नहीं बाँटते हैं, किंतु धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों के द्वारा समझाए जाने पर अपनी चीज़ों को अन्यों के साथ बाँटने लगते हैं। क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगता है कि यदि वह अपनी चीज़ों को अन्यों के साथ बाँटेगा तो वे भी अपनी चीज़ों को उसके साथ बाँटेंगे। प्रारंभ में यह स्वार्थपूर्ण लगता

© NCERT not to be republished

है किंतु कालांतर में यह बच्चे के 'समाजीकरण' में काफ़ी सहायक होता है। यद्यपि ये ज्ञान या शिक्षा बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से संवर्धित नहीं करता है परंतु यह बच्चे के भावी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में यदि माता-पिता बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्रिय सहभाग लेते हैं तो बच्चे के व्यवहार में तीव्रता से अपेक्षित परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बच्चे के अधिगम को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित एवं संवर्धित करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक बच्चे के अधिगम में सक्रिय सहभाग लें। इसके लिए वे अभिभावक बच्चे पर केवल निगरानी करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण न समझें अपितु स्वयं भी अपेक्षित व्यवहार को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। उदाहरणस्वरूप यदि अभिभावक यह चाहते हैं कि बच्चे सच बोलें, तो अभिभावक स्वयं भी सच बोलें अन्यथा बच्चे कभी सच बोलेंगे ही नहीं। इसके लिए अभिभावक को अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चे के व्यवहार को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

घर में सकारात्मक वातावरण विकसित करना

घर ही बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला होती है। घर का वातावरण ही बच्चे के भविष्य की अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। बच्चे के विकास पर भौतिक संसाधनों से ज़्यादा, घर या परिवार के वातावरण का प्रभाव होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत (मनोवैज्ञानिक स्टेज का सिद्धांत) में जीवन के विकास को 'आठ चरणों' में विभाजित किया है। इनका मानना है कि समाजीकरण विकास के प्रत्येक चरण की अपनी ही विशेषताएँ होती हैं। मनोविद् एरिक्सन ने बाल्यकाल में होने वाले 'सामाजिक विकास' को दो चरण में विभाजित किया है— प्रथम चरण है, पहल बनाम अपराध बोध (initiative vs. guilt) इस अवस्था में बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है। यदि इन प्रश्नों को वे सक्रियता के साथ स्वीकार करके उत्तर देते हैं तो बच्चे सृजनशीलता की ओर बढ़ते हैं। अन्यथा जब उसको उसके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिलता है तो वे चुपचाप, निष्क्रिय एवं डरे सहमे से हो जाते हैं। इसीलिए अभिभावकों को बच्चे के सकारात्मक विकास के लिए उनके प्रश्नों को तत्परता के साथ स्वीकार करते ही उत्तर देना चाहिए। साथ ही उन्हें और भी प्रश्नों को पूछने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरा चरण है, परिश्रम बनाम हीनभाव (industry vs. Inferiority-06 से 11 वर्ष) इस स्टेज में बच्चे औपचारिक रूप से लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। इस चरण में बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसको दिखाना भी चाहते हैं ताकि उन्हें परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों एवं अपने शिक्षकों से सामाजिक स्वीकृति मिले। प्राय: घरों में देखा जाता है कि जब बच्चे कोई काम करते हैं तो अभिभावकों या शिक्षकों को दिखाना चाहते हैं। कई बार तो वह तब तक दिखाता रहता है जब तक अभिभावकों की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। इस स्वीकृति से उसमें आत्मविश्वास विकसित होता है एवं वह भी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। किंतु जब उसके कार्यों को अभिभावकों द्वारा स्वीकृति

© NCERT not to be republished

नहीं मिलती है तो उसमें हीनता की भावना का विकास होने लगता है। जो उसके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। अत: अभिभावकों को घर में ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे उनके आत्मविश्वास का विकास हो, जिससे उसके अधिगम में भी सहायता हो सके। अत: घर का वातावरण अगर बाल्यकाल के प्रारंभ से ही सकारात्मक एवं संवादात्मक होता है तो बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इसी आत्मविश्वास के कारण वे अधिगम करने में अपनी रुचि दिखाते हैं अन्यथा अविश्वास से भरा हुआ घर का वातावरण, बच्चे को अधिगम प्राप्ति में अपनी अरुचि दिखाने के लिए अभिप्रेरित करता है। घर का वातावरण ही बच्चे के भविष्य एवं उसके सीखने की दिशा निर्धारित होती है।

बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक विकास एक बहुमुखी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत चलती रहती है। साथ ही ये व्यक्ति के किसी एक पक्ष से नहीं जुड़ी होती है। बच्चे के विकास के दोनों प्रकार के अभिकरण, अभिभावक (अनौपचारिक अभिकरण) एवं विद्यालय (औपचारिक अभिकरण), का उद्देश्य बच्चे के किसी एक पक्ष का विकास करने के बजाए, उसका सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावक एवं बच्चे के मध्य संवादात्मक संबंध हो, जिससे वे अपनी समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ दोनों ही निसंकोच होकर बता सकें। यह संवादात्मक संबंध बच्चे को अधिगम प्राप्ति के लिए भी अभिप्रेरित करता है। बहुत बार यह भी देखने में आता है कि यदि अभिभावकों के मध्य आपस में भी संवादात्मक संबंध न हो, तो यह बच्चे के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। बच्चे के अधिगम प्राप्ति के लिए अभिभावकों का सक्रिय एवं सजग प्रयास आवश्यक है, किंतु यह भी आवश्यक है कि अभिभावकों का पारस्परिक संबंध भी मधुर हो, तभी वे बच्चे के अधिगम प्राप्ति में अपना सहयोग दे सकते हैं। माता-पिता एवं शिक्षकों की सहभागिता ही बच्चे का सर्वांगीण विकास (बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक) एवं उसकी अंतर्निहित शक्तियों को सही दिशा में विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है।

अभिभावकों द्वारा बच्चे को प्रोत्साहन

अगर सामर्थ्य किसी कार्य के संपादन में गाड़ी के समान है, तो प्रोत्साहन उस गाड़ी के ईंधन के समान है। जिस प्रकार गाड़ी की उपयोगिता, इंधन के बगैर नहीं हो सकती है, वैसे ही प्रोत्साहन के बिना, सामर्थ्य का प्रयोग उस सीमा तक नहीं हो सकता। जिस सीमा तक उसका प्रयोग संभव है। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे— कई बच्चे पेंटिंग या चित्र बनाने में रुचि रखते हैं तो वह प्रारंभ में जिन चित्रों को बनाते हैं। वे दिखने में सुंदर नहीं होते, यदि अभिभावक उन चित्रों पर भी उसे सुंदर एवं बहुत बढ़िया इत्यादि शब्दों से प्रोत्साहित कर देते हैं तो वे और उत्साह से चित्रों को बनाते हैं, धीरे-धीरे वे सुंदर चित्र बनाने लगते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन ने उसकी पेंटिंग की प्रतिभा को अधिक निखार दिया। यही बात बाल्यकाल में बच्चे के अधिगम की प्राप्ति में भी है। उसमें अधिगम या सीखने का पर्याप्त सामर्थ्य है, बस उस सामर्थ्य को ऊर्जा देने के लिए अभिभावकों

© NCERT not to be republished

के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जैसे ही ये प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो धीरे-धीरे उसकी उपलब्धि सीमा में विस्तार होने लगता है। प्रोत्साहन से बच्चे की उपलब्धियों में विस्तार होता है किंतु यहाँ यह भी ध्यातव्य रहे कि हम उन्हें प्रोत्साहन के नाम पर कहीं प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ के लिए तो नहीं तैयार कर रहे हैं। इसलिए प्रोत्साहन देते समय क्या उदाहरण देने हैं, इस पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए ताकि हम बच्चे को अभिप्रेरित करें, न कि सिर्फ़ प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ के लिए तैयार करें। अभिभावक बच्चे को प्रभावशील अधिगम के लिए आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार अभिभावक या माता-पिता द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन से बच्चे प्रसन्नचित तरीके से अधिक अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

शैक्षणिक गतिविधियों में सहायक

बच्चे के विकास के अनेक पक्ष हैं, जैसे— बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक इत्यादि। बच्चे के बहुमुखी विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन सभी पक्षों का उचित प्रकार से विकास होना चाहिए। अगर इनमें से किसी पक्ष का विकास भी अवरूद्ध हो जाता है तो अन्य विकसित पक्षों की उपयोगिता कम हो जाती है। अत: यह परमावश्यक है कि बच्चे के सभी पक्षों का विकास सही प्रकार से हो। इसी को ध्यान में रख कर विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यद्यपि इनका आयोजन विद्यालय में होता है, जिसे शिक्षक या अन्य विद्यालयीय सदस्य आयोजित करते हैं किंतु यह भी देखने में आता है कि बच्चे इन शैक्षणिक गतिविधियों में सहभाग लेने में कम रुचि प्रदर्शित करते हैं। इस समय अभिभावकों का प्रोत्साहन बच्चों को सहभाग लेने हेतु अभिप्रेरित करता है। शैक्षणिक गतिविधियों को सृजनात्मक तरीके से पूरा करने में माता-पिता के सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय-समय पर विद्यालय के संपर्क में आकर बच्चे की स्थिति को जानना अर्थात बच्चे के कौन-कौन से पक्ष मज़बूत हैं? तथा कौन-कौन से पक्ष पर अभी कार्य करना बाकी है? इस तरह माता-पिता बच्चे की शैक्षणिक गतिविधि पर ध्यान देकर, कमज़ोर पक्षों को मज़बूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

बच्चे एवं अभिभावकों के मध्य संवादात्मक संबंध

संवाद के विषय में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि यह बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान में संजीवनी बूटी की तरह होता है। संवाद ही वह मार्ग है जिस पर चल कर बड़ी से बड़ी परेशानी से निपट सकते हैं। यही बात बाल्यकाल में बच्चे के अधिगम के साथ भी जुड़ी होती है। बाल्यकाल में बच्चे की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जो उसके अधिगम प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही होती हैं, जिन्हें वह अपने अभिभावकों को बताना चाहता है। किंतु बहुत बार अभिभावक एवं बच्चे के मध्य संवाद का अभाव होता है जिसके कारण वह अपनी परेशानियाँ अपने अभिभावक के साथ साझा करने में संकोच करता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उसकी ये परेशानियाँ उसके अधिगम पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अत: यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक, उनके साथ संवादात्मक संबंध बनाएँ, जिससे बच्चे अपनी

© NCERT not to be republished

परेशानियों को अभिभावक के साथ साझा करें एवं उनका समाधान किया जा सके। इस प्रकार यदि ध्यानपूर्वक देखें तो पाएँगे कि अभिभावक बच्चे के अधिगम प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्राथमिक स्तर पर तो यह और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस समय बच्चे अपने परिवार से अलग होकर पहली बार विद्यालय के औपचारिक वातावरण में जाता है। परिणामस्वरूप उसे ज़्यादा मार्गनिर्देशन की आवश्यकता होती है जो उसे अपने अभिभावकों से अच्छा कोई दूसरा नहीं दें सकता है।

प्राथमिक स्तर पर बच्चे के प्रभावी अधिगम में विद्यालय की सहभागिता

बच्चे की यदि प्रथम अनौपचारिक पाठशाला उसका परिवार है तो विद्यालय उसकी प्रथम औपचारिक पाठशाला है। विद्यालय में जहाँ एक ओर वह अधिगम प्राप्त कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर वह 'समाजीकरण' के सिद्धांतों को भी आत्मसात कर रहा होता है। विद्यालय ज्ञान क्षेत्र है तो यह बच्चे में सामाजिक गुणों के विकास का क्षेत्र भी है। अत: विद्यालय का स्थान बच्चे के सर्वांगीण विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह बच्चे के अधिगम में माता-पिता या अभिभावक की सहभागिता महत्वपूर्ण या अनिवार्य होती है उसी प्रकार बच्चे के सर्वांगीण विकास में या प्रभावशील अधिगम में शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं एवं दोनों पहलुओं की सहभागिता एक-दूसरे के अनुपूरक होती है। दोनों की सहभागिता को मिलाकर ही बच्चे के अधिगम को प्रभावशील बना सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि विद्यालय से तात्पर्य शिक्षक या मानवीय संसाधन है जो बच्चे के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसी के संदर्भ में विद्यालय की सहभागिता को अधोलिखित बिंदुओं के द्वारा जाना जा सकता है।

बाल मनोविज्ञान का प्रयोग

शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय संसाधनों में से सबसे अधिक बच्चे के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। वह जितनी बारीकी से बच्चे की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानता है, उतना अभिभावक से अधिक अन्य कोई नहीं जनता है। अत: यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, साथ ही उस ज्ञान के सही प्रयोग करने में भी निपुण हो अन्यथा बच्चे अपनी समस्याओं को छिपाने लगते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उसका अधिगम प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही वह साधन है जिसके आधार पर एक शिक्षक बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता को जानकर, बच्चे की सभी प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने में सहयोग देता है। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके शिक्षक, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है जिससे उसके व्यवहार को सही दिशा में परिवर्तित किया जा सके साथ ही बच्चे के अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

बच्चे की रुचियों एवं आवश्यकताओं को जानने में सहायक

शिक्षक बाल विकास मनोविज्ञान के आधार पर बच्चे की विभिन्न प्रकार की रुचियों को जानता है तथा उन रुचियों के आधार पर अपनी शिक्षण विधियों

में अपेक्षित परिवर्तन करता है। किसी भी कक्षा में अलग-अलग रुचि वाले छात्र होते हैं, जैसे— एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी खेलने में रुचि रखते हैं, तो कुछ नेतृत्व करने में एवं कुछ भाषण या लेखन में। इस परिस्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि अपने शिक्षण में इन सभी की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण का आयोजन करे, ताकि सभी विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय रूप से सहभाग ले सकें। जब शिक्षक उन अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, बच्चे को अधिगम कराने के लिए उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है तो वह अधिगम को अधिक प्रभावशील बनाता है। इस तरह शिक्षक बच्चे के अधिगम के भार को कम करके, उसे रुचिपूर्ण बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही शिक्षक बच्चे की शारीरिक व मानसिक आवश्यकता को जानकर, उन्हें पूर्ण करने का कार्य भी प्रभावशाली तरीके से करता है, जिससे बच्चे एवं शिक्षक के बीच एक अच्छी तारतम्यता स्थापित होती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चे के अधिगम पर होता है।

शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में

शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का उचित प्रकार से ज्ञान होने के कारण वह बच्चे के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर लेता है एवं उस संबंध के आधार पर बच्चे की सभी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर, उनका मार्गदर्शन करता है। जब बच्चे की सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है तो वह सही दिशा में अधिगम के लिए अभिप्रेरित होता है एवं सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे के व्यवहार में उचित एवं स्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए समय-समय पर अध्यापक को अपने शिक्षण-विधियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से यह परिवर्तन बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को प्रभावी मार्ग निर्देशन प्रदान करने में काफ़ी सहायता करता है जिससे वह अपनी भूमिका के साथ शत-प्रतिशत न्याय कर पाता है।

शिक्षकों द्वारा बच्चे के परिवार के मध्य संवाद करना

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यालय एवं परिवार दोनों के सहयोग से ही प्रभावशील तरीके से ही संचालित हो सकती है। शिक्षक एवं माता-पिता के मध्य संवादात्मक संबंध अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि दोनों ही बच्चे के विकास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों के पास बच्चे की विशेषेताओं एवं कमियों के विषय की बेहतर समझ है, जिसको आधार बनाकर बच्चे के अधिगम को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। शिक्षक माता-पिता से संपर्क करके, बच्चे के व्यवहार के सभी पक्षों को उचित प्रकार से समझता है एवं उस समझ को आधार बनाकर अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर शिक्षक एवं अभिभावक के बीच संवाद हो, ताकि बच्चे के विकास में हो रहे परिवर्तनों के विषय में दोनों को उचित जानकारी हो।

© NCERT not to be republished

विद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन

समय-समय पर विद्यालयों को चाहिए कि वह बच्चों से संबंधित अनेक प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करें एवं उन प्रदर्शनियों में अभिभावकों को सहभाग लेने के लिए आग्रह करें। इस आयोजन के माध्यम से बच्चे, अभिभावकों एवं शिक्षक तीनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होगा। सभी के मध्य उचित प्रकार से तारतम्यता स्थापित होगी। यह तारतम्यता बच्चे के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एक ओर संबंधों की प्रगाढ़ता और बच्चे के विकास के लिए आवश्यक मार्ग निर्देशन उपलब्ध कराने में सहायक होगी, वहीं दूसरी ओर बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य एक बेहतर समझ भी विकसित करने में अपना योगदान देंगे। विद्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों में अभिभावकों के सहभाग के विषय में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* का विचार है कि 'स्कूल, समुदाय को अपने परिसर में बुलाकर बाहरी संसार को पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में एक भूमिका दे सकता है। अभिभावक और समुदाय के सदस्य, स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित अपना ज्ञान बाँट सकते हैं। उदाहरण के लिए, मशीनों के अध्याय में स्थानीय मैकेनिक को बुलाया जा सकता है, जो मशीन को ठीक करने के अपने अनुभव की जानकारी कक्षा में दे सकता है और यह भी बता सकता है कि उसने गाड़ी कैसे ठीक की।'

विद्यालय में अभिभावकों का कोना

विद्यालय को चाहिए कि विद्यालय में किसी एक स्थान पर अभिभावक के लिए एक कोना स्थापित करें। इसमें अभिभावक आकर बच्चों के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करें। प्रात:काल जब भी अभिभावक बच्चों को विद्यालय में छोड़ने आएँ या उन्हें वापस घर ले जाने आएँ, तो अपना कुछ समय अभिभावक के लिए निर्धारित कोने में व्यतीत कर सकें। विद्यालय को चाहिए कि उस कोने में कुछ ज्ञानवर्धक किताबें, फ़ोल्डर, पत्रिका, प्रपत्र एवं अखबार आदि को व्यवस्थित तरीके से रखें। इसके साथ ही बच्चों के कुछ संदेशों को दीवारों पर लगाने चाहिए जिससे अभिवावक बच्चों की उपलब्धियों के बारे में भी जान सकें।

बच्चों की डायरी

बच्चों की डायरी भी एक अच्छा माध्यम है, जिसके आधार पर माता-पिता एवं शिक्षक के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित किया जा सकता है। माता-पिता डायरी का अवलोकन करके, अध्यापकों के साथ अपने बच्चों की आदतों पर चर्चा करें, जिससे बच्चे के अधिगम एवं उसके व्यवहार को प्रभावशील तरीके से एक सुनिश्चित दिशा में निर्धारित किया जा सके।

विद्यालयों द्वारा 'बाल मेला' का आयोजन

समय-समय पर विद्यालयों द्वारा मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए। इससे बच्चों की सक्रियता को

© NCERT not to be republished

और बढ़ाया जा सकता है, जैसे—नाचना, गाना, चित्र बनाना एवं खेल तथा अभिभावकों को भी खुली चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे का अधिगम एवं अभिभावकों की प्रासंगिकता को स्थापित करने में विद्यालय की यह एक अच्छी पहल हो सकती है।

विद्यालय द्वारा अभिभावक पुस्तकालय की स्थापना

प्राथमिक स्तर पर अधिकांश माता-पिता या उसके अभिभावक बच्चों को विद्यालय लाना एवं उन्हें विद्यालय से ले जाने का कार्य स्वयं करते हैं। यदि वे निर्धारित समय से पहले विद्यालय में आ जाते हैं, तो उन्हें अपना बहुमूल्य समय पुस्तकालय में व्यतीत करने का अवसर मिल जाएगा। इसमें विद्यालय को चाहिए कि अभिभावकों के लिए विद्यालय की विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएँ, विद्यालय में बच्चों द्वारा किये गए अनेक शैक्षिक गतिविधियों का ब्यौरा रखा जा सकता है। अत: इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर बच्चे के अधिगम में विद्यालय की भूमिका को सही रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

अधिकांशत: देखा गया है कि बच्चों की शिक्षा, उनका पूर्ण विकास, घर की सभी साक्ष्य गतिविधियों की ज़िम्मेदारी विद्यालय या शिक्षकों पर होती है। अधिकतर अभिभावकों का मानना है कि बच्चों के विकास की सारी ज़िम्मेदारी विद्यालय की है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जितनी ज़िम्मेदारी विद्यालय या शिक्षकों पर होती है, उतनी ही ज़िम्मेदारी अभिभावकों की भी होती है। बच्चों के सार्वभौमिक विकास के लिए दोनों पक्षों का समान योगदान होता है। एक अच्छे अभिभावक के रूप में बच्चों के उचित पालन पोषण के लिए घर में उन्हें एक सुरक्षित एवं प्रभावशील तरीके से सीखने का वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों के खानपान एवं सभी प्रकार की दिनचर्या के साथ ही शैक्षिक गतिविधियों को भी निर्धारित करना घर की ही ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ विद्यालय द्वारा नियोजित सभी कार्यक्रमों में बच्चों को अपनी स्वेच्छा से ही सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरे पक्ष में अगर विद्यालय एवं शिक्षकों की सहभागिता की बात करें तो यह बात अपने आप में स्पष्ट है कि प्रशिक्षित शिक्षक बाल मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों के साथ एक सही सामंजस्य बैठाकर उनके अधिगम एवं विकास में सहयोगी सिद्ध होते हैं। इससे बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास सही दिशा में होता है। अत: बच्चे के सार्वभौमिक विकास में विद्यालय एवं अभिभावकों की भूमिका अत्यंत उपयोगी है जिसे किसी भी प्रकार से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ

कुमार, अशोक. 2014. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का स्वरूप. *प्राथमिक शिक्षक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली.

———. 2015. विद्यालय अनुभव से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ. *प्राथमिक शिक्षक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली.

कोठारी कमीशन (1964–66) http://dise.in/Downloads/KothariCommissionVol.1pp.1-287.pdf

बरन और मिश्रा. 2016. *साइकॉल्जी*. पियर्सन पब्लिकेशन, तमिलनाडु, इंडिया.

———. 2019. *सिग्निफ़िकेंस ऑफ़ फ़िलॉस्फ़ी इन पर्सपैक्टिव ऑफ़ एजुकेशन*. इंडिया अडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन, नयी दिल्ली.

मंगल, एस.के. 2002. *एडवांस्ड एजुकेशनल साइकॉल्जी*. पी.एच.आई. प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished